राजद्रोह कानून पर नजर

इस सवाल में सचमुच दम है कि आखिर अंग्रेजों द्वारा लाया गया यह कानून, जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों की आवाज दबाने के लिए किया गया, अब तक क्यों बचाए रखा गया है।

सुंदर सिंह।

सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है कि राजद्रोह से जुड़े औपनिवेशिक दौर के कानून का आज कोई औचित्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि इस सरकार ने औपनिवेशिक दौर के बहुत से कानूनों को खत्म किया है, लेकिन पता नहीं राजद्रोह कानून पर इसकी नजर क्यों नहीं पड़ रही है। इस सवाल में सचमुच दम है कि आखिर अंग्रेजों द्वारा लाया गया यह कानून, जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों की आवाज दबाने के लिए किया गया, अब तक क्यों बचाए रखा गया है। महात्मा गांधी पर 1922 में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, तब उन्होंने कहा था, सेक्शन 124ए के तहत मुझ पर केस दर्ज हुआ है। इंडियन पीनल कोड की जिन राजनीतिक धाराओं का इस्तेमाल नागरिकों की आजादी को दबाने के लिए किया जाता है, उनमें इस धारा को शायद राजकुमार जैसी पदवी मिली हुई है। 1962 में केदार नाथ बनाम बिहार सरकार में शीर्ष अदालत ने राष्ट्रद्रोह कानून को लेकर बड़ी बात कही थी। उसने स्पष्ट किया था कि सरकार विरोधी बयान के बाद अगर बड़े पैमाने पर कानून–व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश नहीं होती है तो इस धारा के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसकी नजीर भी पेश की। खालिस्तान समर्थक बलवंत सिंह ने भारत से अलग होने के लिए सिखों से हथियार उठाने की अपील की थी, लेकिन उसके बयान के कारण हिंसा नहीं हुई। इसलिए अदालत ने उसे बरी कर दिया। शीर्ष अदालत की इन नजीरों से भी इस कानून के दुरुपयोग में कमी नहीं आई है।

आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत चलाए जाने वाले मुकदमों की संख्या में 160 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं इस दौरान दोषी पाए जाने वाले मामलों का अनुपात भी 33.3 फीसदी से घटकर 3.3 फीसदी पर पहुंच गया। यानी इन मुकदमों में सजा बहुत कम लोगों को हो रही है। इसके अलावा कुछ और कानूनों का भी दुरुपयोग हो रहा है। नैशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए और अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट यानी यूएपीए जैसे कानूनों पर भी सवाल उठे हैं। इनके तहत गिरफ्तार किए गए कई लोग वर्षों सुनवाई का इंतजार करते रह जाते हैं। कानून की कड़ी धाराएं जमानत मिलना मुश्किल बना देती हैं। लिहाजा आरोपों की सचाई सामने आने से पहले ही उन्हें लंबी अवधि तक तरह–तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसे मामलों में बरसों बाद अभियुक्त के बाइज्जत बरी हो जाने के बावजूद यह सवाल नहीं पूछा जाता कि आखिर सबूत न होने पर भी ऐसी धाराएं क्यों लगा दी गईं? आतंकवाद जैसी समस्याओं के मद्देनजर इन कड़े कानूनों की जरूरत भी है, लेकिन इनका दुरुपयोग रोकना भी उतना ही जरूरी है।

कठिन परिश्रम

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

लंका विजय के पश्चात जब राम अयोध्या लौटे और राजतिलक हो गया तो एक दिन राजदरबार में महर्षि वशिष्ट, विश्वामित्र, नारद तथा अन्य की ऋषि धार्मिक विषयों पर विचार–विमर्श के लिए पधारे। जब उसी प्रकार के विषयों पर चर्चा चल रही थी तो देवर्षि नारद ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है ? नारद जी ने कहा – ऋषियों नाम तथा नामी से तात्पर्य है कि भगवान नाम का जप–भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ हैं ? नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा – अरे नारद! तुमने यह कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया है। निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जप किया जाता है। नारद ने कहा – नहीं आपकी यह धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है।

संपादकीय

निर्माण का बीड़ा

आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ पर्यावरण को लेकर आगे की राह दिखाने और भावी पीढ़ियों के रहने योग्य एक हरीभरी तथा पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ दुनिया छोड़ने के प्रयासों को मजबूती देने के लिए देख रहा है। आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन यानी सीडीआरआई भी प्रधानमंत्री मोदी की पहल का ही परिणाम है। सीडीआरआई का उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा संबंधी जोखिमों के लिए मौजूद बुनियादी ढांचा प्रणालियों के संबंध में है। 23 सितंबर, 2019 को 'यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट' में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सीडीआरआई की शुरुआत की गई थी, जिसमें अब सदस्य के रूप में 25 देश और सात अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। भारत इलेक्ट्रिक वीइकल इनिशिएटिव (ईवीआई) का भी सदस्य है। यह विश्व की अनेक सरकारों का एक नीतिगत मंच है, जो कि विश्वभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत करने और उनके उपयोग में तेजी लाने के लिए काम करता है। इन बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौतों का लाभ यह हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से अपेक्षाकृत सस्ती लागत से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है। 2018 में वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक ऐसी दुनिया में, जो दोषों और दरारों से भरी है, हमें एक साझा भविष्य के निर्माण की जरूरत है। हम कह सकते हैं कि अपने कार्यों और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से दुनिया के लिए उस भविष्य के निर्माण का बीड़ा उठाया है।

ऊर्जा क्षेत्र के नए विकल्पों की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की भूमिका विश्व पटल पर महत्वपूर्ण हुई है।

भारत की पहल को सम्मान

भूपेंद्र यादव।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सात वर्षों के अपने कार्यकाल में भारत को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाया है। ऊर्जा क्षेत्र के नए विकल्पों की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की भूमिका विश्व पटल पर महत्वपूर्ण हुई है। जलवायु परिवर्तन के सवाल पर गंभीरतापूर्वक काम कर रहे देशों ने भारत की भूमिका को स्वीकार किया है।

देखा जाए तो 2014 में सरकार बनने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को नए ढंग से सुनिश्चित किया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया है कि भारत जलवायु परिवर्तनों की चुनौती से निपटने के लिए हो रही वैश्विक पहलों को आगे बढ़ाने में भी अग्रणी है। उदाहरण के रूप में देखें तो इस वर्ष के आरंभ में ही प्रधानमंत्री मोदी को 'सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एन्वायरनमेंट लीडरशिप' सम्मान प्राप्त हुआ। इसके पहले 2018 में 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 'चौंपियंस ऑफ द अर्थ' प्रदान करते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में उनके वैश्विक नेतृत्व को ही मान्यता दी गई। यह

सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थापित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक समाप्त करने के उनके संकल्प के प्रति एक वैश्विक स्वीकृति का ही द्योतक था। यह भारत के वर्तमान नेतृत्व की दुनिया में स्वीकार्यता का परिचायक है।

प्रकृति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि के तीन मूल तत्व हैं। पहला है आंतरिक चेतना। आंतरिक चेतना का अर्थ है स्व की पहचान करना यानी अपने गौरवशाली अतीत की पहचान करना। दूसरा स्तंभ है जनजागरूकता। इस विषय में प्रधानमंत्री, देशवासियों से पर्यावरण संबंधी विषयों पर चर्चा, संवाद और विमर्श करने तथा लिखने के लिए आह्वान करते हैं। वह पर्यावरण से संबंधित विषयों पर अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। पर्यावरण संबंधी विषयों पर नागरिकों की सक्रियता को प्रधानमंत्री मोदी तीसरा स्तंभ मानते हैं। उनका मत है कि पर्यावरण की बदहाली और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में लोगों की सक्रियता अत्यंत सकारात्मक भूमिका निभा सकती है।

गौर करें तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर भारत ने घरेलू स्तर पर ऐसी मिसाल कायम की है, जिसका आज विश्व अनुकरण कर रहा है। भारत आर्थिक विकास के क्रम में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में उत्तरोतर कमी लाने में कामयाब रहा है। भारत अपने 2005 में निर्धारित स्तर की तुलना में 2020 में जीडीपी की 'मिशन इंटेंसिटी' को 20 से 25 प्रतिशत तक करने की अपनी 2020 से पूर्व की प्रतिबद्धता को पार कर रहा है। इसके अतिरिक्त बीते सात वर्षों में भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में ढाई गुणा की वृद्धि हुई है, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा क्षमता में 13 गुणा की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष' के माध्यम से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पर्यावरण अनुकूलन कार्यों को सहयोग तथा समर्थन दिया जा रहा है।

इन सब उपलब्धियों के साथ आज भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए पैरिस समझौते के तहत निर्धारित अपने लक्ष्यों (राष्ट्रीय योगदानों) को न केवल प्राप्त करने बल्कि उससे भी आगे बढ़ने की राह पर है।

अष्टयोग-5083

4	1			2		3
	35	6	30	1	32	7
7	5		3		4	
	29	2	31	4	31	
2	4				6	
	29		40	5	34	6
5	1	3		7		

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5082 का हल

7	6	5	4	3	2	1
2	39	1	29	6	26	5
5	6	7	1	2	3	4
4	30	2	25	1	34	6
1	2	3	4	5	6	7
6	30	6	39	4	35	3
3	5	4	6	7	1	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

विकासशील देशों की आवाज

मोहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, विकासशील देशों की आवाज बनते हुए विश्व पटल पर इस बात को उठाने में कामयाब रहा है कि विकसित देश प्रदूषण के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार रहे हैं, अतः उन्हें जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए। आगे ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु सम्मेलन होना है, इससे पूर्व विश्व के नेताओं ने इस बात को स्वीकारते हुए भारत की सराहना की है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के मामले भारत ने एक उदाहरण पेश करते हुए विश्व का नेतृत्व किया है। आज भारत जी–20 समूह का एकमात्र ऐसा देश है, जो अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में सधे कदमों से आगे बढ़ रहा है। पैरिस जलवायु समझौते में निर्धारित सब–2 डिग्री सेल्सियस स्तर के लक्ष्य की अपनी प्रतिबद्धता से भी बेहतर प्रदर्शन करना दर्शाता है कि भारत जो कहता है, सो करता भी है।